महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/653 भोपाल, दिनांक 15/05/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
4. अध्यक्ष, नर्सिंग होम ऐसोसिएशन, म.प्र।
5. अध्यक्ष, आई.एम.ए., म.प्र।

विषयः– कंटेन्मेन्ट क्षेत्र तथा नॉन कंटेन्मेन्ट क्षेत्रों के निजी अस्पतालों/क्लीनिक्स के संचालन संबंधी निर्देश **(Govt. Advisory for Private Hospitals/Clinics in Containment & Non Containment Areas)** ।

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार के मार्गदर्शन अनुसार कोविड–19 रोगियों हेतु उनके लक्षण एवं स्थिति के अनुसार प्रबंधकीय संस्थानों का श्रेणीकरण किया गया है जो कोविड केयर सेन्टर (CCC), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC) तथा वेन्टीलेटर/आई.सी.यू. सुविधायुक्त डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH) कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियों के लिए Non COVID संस्थाओं में सामान्य परिस्थिति के अनुरूप समस्त क्लीनिकल सेवायें प्रदान करने के भी निर्देश है।

निजी अस्पतालों/क्लीनिक्स के संचालन हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देश दिये जाते हैः–

1. कंटेन्मेंन्ट क्षेत्र के समस्त निजी अस्पताल, निजी चिकित्सकों द्वारा संचालित ओ.पी.डी. अथवा क्लीनिक्स बंद रखी जाये एवं इनमें समस्त संचालन संबंधी गतिविधियाँ स्थानीय प्रशासन के अन्य आदेश तक स्थगित रखी जाये।
2. नॉन कंटेन्मेंन्ट क्षेत्र के समस्त निजी अस्पतालों में नॉन कोविड रोगियों हेतु सामान्य तथा आकस्मिक क्लीनिकल सेवायें तत्काल बहाल की जाये।
3. फीवर क्लीनिक की स्थापना– नगर निगम क्षेत्रों में जो निजी अस्पताल अथवा निजी चिकित्सक फीवर क्लीनिक का संचालन करना चाहते है उनकी जानकारी लेकर सूचीबद्ध की जाये तथा उक्त फीवर क्लीनिक पर भी सैम्पल लेने की व्यवस्था रखी जाये। इन केन्द्रों को आवश्यक एन–95 तथा पी.पी.ई किट मुख्य चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित लागत मूल्य पर उपलब्ध कराई जाये। नोटीफाईड निजी फीवर क्लीनिक्स द्वारा सैम्पल लेने के बाद आई.सी.एम.आर. के आर.टी.पी.सी.आर. मोबाईल एप्लीकेशन में जानकारी प्रतिवेदित करना अनिवार्य होगा जिसके लिए उन्हें Log in ID उपलब्ध कराई जाये।
4. फीवर क्लीनिक्स की संपूर्ण जानकारी, पता, दूरभाष नम्बर जन साधारण को अवगत कराने हेतु पर्याप्त प्रचार प्रसार सुनिश्चित की जाये।
5. नॉन कंटेन्मेन्ट क्षेत्र के समस्त स्पेशलिटी/मल्टीस्पेशलिट/अन्य अस्पतालों द्वारा अपनी विशिष्टता अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी प्रारम्भ की जाये। रोगियों के आगमन/निर्गमन की पृथक मार्ग होना आवश्यक होगा ताकि अन्य रोगियों से संपर्क को नियंत्रित किया जा सके।
6. जिन निजी अस्पतालों में Fever/Flu OPDs की पृथक सुविधा उपलब्ध न हो, उनके द्वारा अस्पताल के बाहर निम्न संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना होगा–

> **बुखार, सर्दी, खाँसी के रोगी निकटस्थ फीवर क्लीनिक/शासकीय अस्पतालों में संपर्क करें**
> **निकटस्थ फीवर क्लीनिक का पता..**
>
> **आदेश अनुसार मध्यप्रदेश शासन**

7. निजी अस्पतालों में समस्त आंतरिक (IPD)/आकस्मिक (Emergency) रोगियों के प्रबंधन के दौरान Universal Safety Precautions का पालन किया जाये।

14. बच्चों के लिए DCHC/DCH में रेफरल हेतु प्रोटोकॉल निम्नानुसार निर्धारित है:–

i **DCHC में रेफरल–** मंद / मध्यम निमोनिया के लक्षण वाले बच्चों (सांस लेने में कठिनाई तथा तेज सांस के लक्षण वाले बच्चों) को DCHC में ट्रांसफर किया जाये। बच्चों के लिए < 2 माह में सांस दर >60 प्रति मिनट, 2 माह से 1 वर्ष में सांस दर >50 प्रति मिनट तथा 1 से 5 वर्षीय बच्चों में सांस दर >40 प्रति मिनट को तेज सांस के रूप में परिभाषित किया जाता है।

ii **DCH में रेफरल–** बच्चे में निम्न में कोई भी लक्षण होने पर बच्चे को चिन्हांकित DCH में ट्रांसफर किया जाये:–

A. **Severe Pneumonia in Children**
- Central cyanosis अथवा SpO2 <90%; अथवा
- Severe respiratory distress (e.g. grunting, chest in- drawing); अथवा
- Signs of pneumonia with any of the following danger signs:
  a. Inability to breastfeed or drink, lethargy or unconsciousness, or
  b. Convulsions,
  c. Chest indrawing,
  d. Fast breathing

B. **Acute Respiratory Distress Syndrome in Children**
- Bilevel NIV or CPAP ≥ 5 cm H2O via full face mask: PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg or SpO2/FiO2 ≤ 264
- Mild ARDS (Invasively ventilated): $4 \leq OI < 8$ or $5 \leq OSI < 7.5$
- Moderate ARDS (Invasively ventilated): $8 \leq OI < 16$ or $7.5 \leq OSI < 12.3$
- Severe ARDS (Invasively ventilated): $OI \geq 16$ or $OSI \geq 12.3$

C. **Sepsis in Children-** Any hypotension (SBP <5th centile or >2 SD below normal for age) or 2- 3 of the following:
- Altered mental state
- Bradycardia or tachycardia (HR <90 bpm or >160 bpm in infants and HR <70 bpm or >150 bpm in children)
- Prolonged capillary refill (>2 sec) or warm vasodilation with bounding pulses; tachypnoea
- Mottled skin or petechial or purpuric rash;
- Increased lactate
- Oliguria
- Hyperthermia or hypothermia

15. नॉन कंटेन्मेन्ट क्षेत्र के निजी अस्पतालों व निजी क्लीनिक्स में **Influenza Like Illness (ILI)** के लक्षण रहित रोगियों का प्रबंधन के समय सामाजिक दूरी, हाथों की स्वच्छता, मास्क की अनिवार्यता एवं क्लीनिकल प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक / कोविड–19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 654 भोपाल, दिनांक 15 / 05 / 2020

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन, म.प्र।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
8. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश